तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/कोलो/674/2005/भीलवाड़ा छीतरलाल बनाम मनोहरलाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एकलपीठ **डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर, सदस्य** **उपस्थित** श्री जे.के. पारीक, अभिभाषक प्रार्थी। श्री गौरव दवे, अभिभाषक अप्रार्थी। **निर्णय** दिनांकः 21—2—2023 यह निगरानी अर्न्तगत नियम 20 (2) राजस्थान मध्यम एवं लघु परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि आवंटन नियम 1968 के तहत् न्यायालय भू—प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, भीलवाड़ा के आदेश दिनांक 30—12—2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 2— प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि आवंटन सलाहकार समिति तहसील माण्डल के द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में दिनांक 28—10—1999 को राजस्व ग्राम माण्डल की उपनिवेशन क्षेत्र की आराजी नंबर 8864 रकबा 1 बीघा भूमि का नियत शर्तों पर कृषि कार्य के लिए आवंटन किया गया। उपरोक्त आवंटन को निरस्त कराए जाने के लिए प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना—पत्र न्यायालय अपर जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसे न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 28—10—2002 द्वारा अप्रार्थी का आवंटन निरस्त कर दिया। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अप्रार्थी ने न्यायालय भू—प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, भीलवाड़ा के यहां प्रस्तुत की गई। अपीलीय न्यायालय ने उक्त अपील को स्वीकार कर अपने आदेश दिनांक 30—12—2004 द्वारा अपर जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा के निर्णय को निरस्त कर दिया। जिससे असंतुष्ट होकर प्रार्थी ने निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है। 3— उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस निगरानी पर सुनी गई ।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/कोलो/674/2005/भीलवाड़ा छीतरलाल बनाम मनोहरलाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	4— प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने निगरानी मीमों में अंकित कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। उनका कथन है कि अपीलीय न्यायालय ने इस कानूनी प्रावधान की ओर ध्यान नहीं दिया कि अप्रार्थी को आवंटित आराजी प्रार्थी की आराजी खसरा नंबर 2865 की उत्तर दिशा से सटी होकर उक्त आराजी खसरा नंबर 8860 के साथ सटी हुई है। हल्का पटवारी ने अप्रार्थी को आवंटित भूमि का आधिपत्य प्रार्थी की आराजी की उत्तर दिशा में स्थित प्रार्थी की धरोहर के पास दे दिया था, जिसमें प्रार्थी को अपने खाते की आराजी में आवागमन का मार्ग अप्रार्थी ने अवरूद्ध कर दिया। आराजी खसरा नंबर 8864 सार्वजनिक भूमि है तथा उक्त आराजी पर अप्रार्थी को किया गया आवंटन काबिल निरस्तनीय है। अधिवक्ता प्रार्थी का कथन है कि आराजी खसरा नंबर 8864 सार्वजनिक उपयोग की भूमि है, जिसमें से होकर ग्रामवासी माण्डल गुजरते हैं तथा उक्त आराजी से ही हायर सैकेण्ड्री स्कूल का रास्ता गुजरता है। लगभग 50—60 वर्ष पूर्व से ग्रामवासी उक्त आराजी खसरा नंबर 8864 में ही अपने खलिहान डालते चले आ रहे हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित भूमि के बाबत् तहसीलदार की मौका रिपोर्ट दिनांक 17—4—2002 को प्रस्तुत की थी। इससे स्पष्ट है कि विवादित भूमि सार्वजनिक उपयोग की भूमि है। अप्रार्थी के साथ ही उक्त आराजी खसरा नंबर 8864 में से तेजू पिता हरलाल खारोल को दिनांक 28—10—1999 को 17 बिस्वा भूमि का आवंटन किया गया था तथा तेजू खारोल ने इस भूमि को लेने से इनकार कर दिया। जिससे स्पष्ट है कि उक्त आराजी आवंटन योग्य नहीं है। अप्रार्थी ने अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की थी तथा मियाद बाबत् समुचित एवं पर्याप्त कारण अंकित नहीं किये गये थे। इसलिए अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद पर ही निरस्त किये जाने योग्य थी। इसके उपरान्त भी अपीलीय न्यायालय ने विवादित आदेश प्रदान करके भारी कानूनी एवं सैद्धान्तिक भूल की है। इस कारण अपीलीय न्यायालय का निर्णय निरस्त योग्य है। अतः	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/कोलो/674/2005/भीलवाड़ा** **छीतरलाल बनाम मनोहरलाल**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	निगरानी स्वीकार कर न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, भीलवाड़ा का निर्णय दिनांक 30–12–2004 को निरस्त कर अपर जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा का आदेश दिनांक 28–10–2002 को बहाल रखा जावे एवं अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन दिनांक 28–10–1999 को निरस्त किया जावे। अपने कथन के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये– आर.बी.जे. 2013 पृष्ठ 55, आर.आर.डी. 2003 पृष्ठ 269, डी.एन.जे. 2011(SC) पृष्ठ 849, आर.आर.डी. 2009 पृष्ठ 94, 129, 162 आर. आर.डी. 2001 पृष्ठ 403 । 5– इसके विपरीत अभिभाषक अप्रार्थी का कथन है कि राजस्व रिकार्ड पर यह भूमि सार्वजनिक खलिहान, नाडी आदि के रूप में दर्ज नहीं है, उसे नियमानुसार आवंटन हुआ है। विपक्षी अनुसूचित जाति का सदस्य होने से व प्रार्थी स्वर्ण जाति का होने से द्वेषतावश यह आवेदन प्रस्तुत किया गया है। जिस अलोटी तेजू खारोल को आवंटन हुआ था, उसको भी डरा धमकाकर भूमि सुपुर्द नहीं होने दी है। जो शपथ–पत्र प्रस्तुत किये गये हैं, वे मान्य नहीं हैं। प्रस्तुत कमिश्नर रिपोर्ट अनुसार स्पष्ट है कि आवंटन नियमानुसार हुआ है। भूमि सार्वजनिक उपयोग की नहीं है। अतः प्रार्थी की निगरानी सारहीन होने से खारिज की जावे। 6– हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का गहन अध्ययन किया। 7– पत्रावली के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी के पक्ष में दिनांक 28–10–1999 को ग्राम माण्डल के उपनिवेशन क्षेत्र की आराजी खसरा संख्या 8864 रकबा 1 बीघा का आवंटन किया जाकर दिनांक 13–12–1999 को कब्जा सुपुर्द किया गया। प्रार्थी का यह कथन है कि आवंटन की गई भूमि सार्वजनिक उपयोग तथा रास्ते की भूमि है व सार्वजनिक नाडी में पानी भर जाने से आवागमन का रास्ता अवरूद्ध हो जाता है। अतः किया गया आवंटन नियमानुसार नहीं होकर निरस्त योग्य है। इस संबंध में तहसीलदार को मौका कमीश्नर नियुक्त किया गया। उन्होंने मौका निरीक्षण कर निम्न रिपोर्ट प्रस्तुत की है–	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/कोलो/674/2005/भीलवाड़ा छीतरलाल बनाम मनोहरलाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	"आज दिनांक 17–4–2002 को प्रकरण संख्या 49/2000 दिनांक 21–3–2000 को श्रीमान अपर जिला कलेक्टर महोदय, भीलवाड़ा के ग्राम माण्डल की आराजी नंबर 8864 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा पर पहुंचा तो पाया कि उक्त आराजी में से रकबा 1 बीघा अलोटी श्री मनोहरलाल पिता बंशीलाल जीनगर, निवासी माण्डल को आवंटन हुआ। मौके पर आराजी नंबर 8869, 8865 खातेदारी आराजी के उत्तर की तरफ उक्त आवंटनशुदा रकबा 1 बीघा सटा हुआ है। आवंटन रकबा 1 बीघा के अलोटी के द्वारा चारो ओर मिट्टी का डोल लगाकर हक कर कब्जा कर रखा है। आराजी नंबर 8864 का शेष रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा खाली पड़ा होकर उसर है। मौके पर इसी पोते रकबे में से एक रास्ता आने–जाने का बना हुआ है, जो 90 फिट खुलासा है। मौतबीरान ने बताया कि जब नाडी भर जाती है, तब आने–जाने का रास्ता पानी भरने से अवरूद्ध हो जाता है एवं खलिहान डाले जाते हैं। इस वक्त मौके पर कोई खलिहान नहीं है। रास्ता खुलासा है। उक्त नाडी में आने–जाने बाबत् कोई रूकावट नहीं है। इसलिए कि उक्त नाडी में पानी भरा हुआ नहीं है। इसी आराजी नंबर 8864 के पश्चिम की तरफ रास्ता है, जिससे उक्त आराजी मिली हुई है एवं आराजी नंबर 8861 जो आराजी नंबर 8864 के उत्तर की तरफ इसी से मिलता हुआ है, जो खाली होकर सरकारी है, उक्त नाडी से कोई सिंचाई नहीं होकर पानी भरा रहता है। अतः पर्चा बनाया गया।" मौके की रिपोर्ट के अनुसार आवंटित खसरा संख्या 8864 पर आवंटी का कब्जा है तथा इस आराजी का शेष रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा खाली पड़ा हुआ है तथा रास्ता खुला है। राजस्थान मध्यम एवं लघु परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि आवंटन नियम 1968 के नियम 17(अ) में अंकित शर्तों के आधार पर आवंटन निरस्त किया जा सकता है। नियम 17(अ) निम्न प्रकार है– "**17-A. Concellation of allotment.-** The Collector of the district shall have the power to cancel any allotment made under these Rules, either suo motu	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/कोलो/674/2005/भीलवाड़ा छीतरलाल बनाम मनोहरलाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	or on the application of any person, in case the allotment has been secured through fraud or misrepresentation, or has been made against the rules or in case the allottee has committed breach of any of the conditions of allotment: Provided that no such order, to the prejudice of any person, shall be passed without giving such person an opportunity of being heard." उक्त नियमों के तहत् यह आवंटन निरस्त योग्य नहीं पाया जाता है। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों के तथ्य हस्तगत प्रकरण से भिन्न होने से यहां सहायक नहीं है। 8– उक्त विवेचन के आधार पर राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा के आदेश में कोई विधिक या तथ्यात्मक या क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है। यह निगरानी अस्वीकार योग्य पायी जाती है। अतः यह निगरानी खारिज की जाती है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो। **(डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर)** **सदस्य**	